रजि. सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 1988/अग्रहायण 14, 1910
No. 617] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 1988/AGRAHAYANA 14, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1988

अधिसूचनाएं

सा.का.नि. 1118(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (पंचम संस्करण, 1985) के नियम 103(5) में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-01-1987 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई(पी एंड ए) II/86/आर एस 15]

अनुलग्नक

पृष्ठ 1, नियम 103(5)—"औसत वेतन"

इस नियम के वर्तमान द्वितीय परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें :—

"और आगे यह भी कि रनिंग भत्ते के हकदार रेल सेवकों के मामले में छुट्टी वेतन के प्रयोजनार्थ औसत वेतन में, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रनिंग भत्ते में वेतन तत्व का घोटक, एक निश्चित संघटक शामिल होगा।"

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 5th December, 1988

G.S.R. 1118 (E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 103 (5) of Indian Railway Establishment Code, Volume I (Fifth Edition, 1985) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-01-1987.

[No. E. (P&A) II/86/RS/15.]

ANNEXURE 'A'

Page 1, Rule 103(5)—'Average Pay'.

Substitute the following for the existing second proviso to this Rule:—

"Provided further that in the case of railay servants entitled to running allowance, average pay for the purpose of

leave salary shall include a fixed component representing the pay element in the running allowances as notified by the Government through administrative instructions from time to time.

सा.का.नि. 1119(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 401 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते।

ये संशोधन 01-07-1959 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई(पी एंड ए) II/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 426 स्था. I

नियम 401

वर्तमान उप नियम (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

वेतन से अभिप्राय भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-II के नियम 2003(21)(क) [मू. नि. 9(21)(क)] में परिभाषित वेतन से है। चालन कर्मचारिवृन्द के मामले में कर्मचारी के वेतन में प्राधिकृत वेतनमान में वेतन के 25 प्रतिशत को भी चालन भत्ते में वेतन तत्व के रूप में शामिल किया जाएगा।

[प्राधिकार :—रेल मंत्रालय का वि. 22-5-1961 का पत्र सं. पी सी-60/आर ए-2/1]

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण-1971 संस्करण) के नियम 401 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-7-59 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आशोधित किया गया है। दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत प्राधिकृत वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1119(E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 401 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-07-1959.

[No. E(P&A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 426 R.I.

RULE 401

The existing sub-rule (4) may be substituted by the following :—

" 'Pay' means pay as defined in Rule 2003(21)(a) [FR. 9(21)(a)] of the Indian Railway Establishment Code, Volume-II. In the case of Running Staff, Pay shall also include 25% of pay in the authorised Scales of Pay as the pay element in running allowance."

AUTHORITY : (Ministry of Railways' letter No. PC-60/RA-2/1 dt. 22-5-1961.)

EXPLANATION :

The Rule 401 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (Ist Reprint—1971 Edition) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-7-59. These instructions were necessitated by the introduction of the authorised scales of pay recommended by the Second Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1120(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 401 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-02-1963 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एंड ए) II/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 427 स्था. I

नियम 401

वर्तमान उप नियम (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"वेतन" से अभिप्राय भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II (प्रथम पुनर्मुद्रण—1971 संस्करण) के नियम 2003 (21)(क) [मू.नि.9 (21)(क)] में परिभाषित वेतन से है। चालन कर्मचारिवृन्द के मामले में कर्मचारी के वेतन में प्राधिकृत वेतनमान में वेतन के 40 प्रतिशत को भी चालन भत्ते में वेतन तत्व के रूप में शामिल किया जाएगा।

[प्राधिकार :—रेल मंत्रालय का वि. 7-3-63 का पत्र सं. पी सी-60/आर. ए. 2/1]

स्पष्टीकरण:—

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण-1971 संस्करण) को नियम 401 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-2-63 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आशोधित किया गया है। दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत प्राधिकृत वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1120 (E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the cConstitution, the President is pleased to amend Rule 401 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-02-1963.

[No. E (P&A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 427 R.I.

RULE 401

The existing sub-rule (4) may be substituted by the following :—

"'Pay' means pay as defined in Rule 2003(21)(a) [F.R. 9 (21)(a)] of the Indian Railway Establishment Code, Volume II

In the case of Running Staff, Pay shall also include 30% of pay in the revised Scales of pay as the pay element in running allowance."

AUTHORITY : (Ministry of Railways letter No. PC-60/-RA-2/1 dt. 7-3-1963).

EXPLANATION :

The Rule 401 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (1st Reprint—1971 Edition) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-2-1963. These instructions were necessitated by the instroduction of the authorised scales of pay recommended by the Second Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1121(अ):—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द—I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 401 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एंड ए) 11/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 431 स्था. 1

नियम 481

वर्तमान उपनियम (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"वेतन" से अभिप्राय भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1 के नियम 2003 (21)(क) मू. नि. 9/21 (क) में परिभाषित वेतन से है। चालन कर्मचारीवृन्द के मामले में, कर्मचारी के वेतन में संशोधित वेतनमान में वेतन का 30 प्रतिशत भी चालन भत्ते में वेतन के रूप में शामिल होगा।

[प्राधिकार :—रेल मंत्रालय का दिनांक 22-3-1976 का पत्र सं. पी. सी. 3/75/आर. ए.]

स्पष्टीकरण :

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण—1971 संस्करण) के नियम 401 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-1976 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1121(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 401 of Indid Railway Establishment Code, volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1976.

[No. E(P&E)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 431 R.I.

RULE 401

The existing sub-rule (4) may be substituted by the following: "Pay' means pay as defined in Rule 2003 (21)(a) [FR. 9(21)(a)] of the Indian Railway Establishment Code, Volume II. In the case of Running Staff, Pay shall also include 30% of pay in the revised scales of pay as the pay element in Running Allowance."

AUTHORITY: Ministry of Railways letter No. PCIII (75/RA-1 dt. 22-3-1976).

EXPLANATION :

The Rule 401 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (1st reprint) has been modified through administrative instructions issued with Presidents approval effective from 1-4-1976. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1122 (अ) :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम संस्करण, 1985) के नियम 603 (1) में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-01-1987 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एंड ए) 11/86/आर एस 15]

अनुलग्नक

शुद्धि सं. 11

पृष्ठ 63, नियम 603 (1)—"प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की परिभाषा"

"टिप्पण" में वर्तमान मद (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें—

"रनिंग कर्मचारियों के मामले में समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रनिंग भत्ते में वेतन तत्व का स्थिर एक निश्चित संघटक।"

G.S.R. 1122(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 603(1) of Indian Railway Establishment Code, Volume I (Fifth Edition), 1985 as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-01-1987.

[No. E./P&A)/II/86/RS/15]

ANNEXURE

Page 63, Rule 603(1)—'Definition of Authorized Medical Attendants'.

In the 'Note' substitute the following instead of the item (1):—

"In the case of running staff fixed component representing the Pay element in the running allowance as notified by the Government through administrative instructions from time to time."

सा. का. नि. 1123 (अ) :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 712 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-04-1976 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एंड ए) II/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 432 स्था. I

नियम 712

उप नियम (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"औसत वेतन" का अभिप्राय संशोधित वेतनमान में लिये गये वेतन से है, अथवा वह वेतन जो एक रेल सेवक द्वारा अधिष्ठायी रूप से अपने स्थायी पद पर छुट्टी लेने की तारीख से पहले की तारीख को लिया जाये परन्तु चालन भत्ते के हकदार कर्मचारिवृन्द के वेतन में, जिस महीने रेल सेवक छुट्टी पर जाता है उस महीने के तत्काल पूर्व के बारह महीनों की अवधि के दौरान अर्जित औसत चालन भत्ते उसी अवधि में लिये गये वेतन के औसत के अधिकतम 45 प्रतिशत की शर्त के अध्यधीन शामिल किये जायेंगे। एक मास से अनधिक छुट्टी के मामलों में एक बार निर्धारित औसतन चालन भत्ता वित्त वर्ष की शेष अवधि में लागू रहेगा।

[प्राधिकार : रेल मंत्रालय दिनांक 22-3-1976 का पत्र सं. पी सी 3/75/आर. ए/1]

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण—1971 संस्करण) के नियम 712 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-1976 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1123(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 712 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1976.

[No. E (P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 432 R.I.

RULE 712

The sub-rule(5) may be substituted by the following:

"'Average Pay' means the pay drawn in the revised scales of pay, or that would be drawn by a railway servant in the permanent post held substantively by him on the date preceding that on which he proceeds on leave provided that the pay of staff entitled to running allowance shall include the average running allowance earned during the 12 months immediately preceding the month in which a railway servant proceeds on leave subject to a maximum of 45% of average of the pay drawn for the same period, the average running allowance once determined remaining in operation during the remaining part of the financial year in cases of leave not exceeding one month."

AUTHORITY: (Ministry of Railways letter No. PC-III/75/-RA/1 dated 22-3-1976).

EXPLANATION :

The Rule 712 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (1st reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-4-1976. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1124(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 712 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-08-1981 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई. (पी एंड ए) II/86/आर एस 16]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 440 स्था. I

नियम 712 उप नियम (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"औसत वेतन का अभिप्राय है कि वह वेतन जो रेल सेवक द्वारा अधिष्ठायी रूप में अपने स्थायी पद पर छुट्टी लेने की तारीख से पहले की तारीख को लिया गया हो परन्तु चालन भत्ते के हकदार कर्मचारिवृन्द के वेतन में, चालन भत्ते में वेतन तत्व के रूप में संशोधित वेतनमान में वेतन का 30 प्रतिशत भी शामिल होगा।

[प्राधिकार: रेल मंत्रालय का दिनांक 17-7-1981 का पत्र सं. ई (पी एंड ए) 2/80/आर एस-10)

स्पष्टीकरण :

भारतीय रेल स्थापन संहिता के नियम 712 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-8-81 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। चालन भर्ती समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिये गये विनिश्चयों के कारण इन अनुदेशों को आवश्यकता हुई थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1124 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 712 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-08-1981.

[No.E(P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 440 R.I.

RULE 712

The sub-rule (5) may be substituted by the following:

" 'Average Pay' means the pay drawn or that would be drawn by a railway servant in the permanent post held substantively by him on the date preceding that on which he proceeds on leave; provided that the pay of staff entitled to running allowances shall also include 30% of pay, in the revised scales of pay as the pay element in running allowance."

AUTHORITY: [Ministry of Railways' letter No. E(P&A) II-80/RS-10 dt. 17-7-1981].

EXPLANATION:

The Rule 712 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-8-1981. These instructions were necessitated by the Government's decision on the recommendation of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1125(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 730 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-04-1976 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एंड ए)II/86/आर एस-15]

अनुलग्नक

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 433 स्था.I

नियम 730

नियम 730 के नोट के टिप्पण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

टिप्पण: चालन भत्ते के हकदार कर्मचारिवृन्द के मामले में, रेल सेवक के छुट्टी पर जाने के महीने से तत्काल पूर्व के 12 महीनों के दौरान अर्जित औसत चालन भत्ता शामिल होगा, परन्तु यह संशोधित वेतनमान में उसी अवधि के लिये नये वेतन के औसत का अधिक से अधिक 45 प्रतिशत होगा। एक मास से अनधिक अवधि के मामलों में एकबार निर्धारित औसत चालन भत्ता वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान लागू रहेगा।

[प्राधिकार: रेल मंत्रालय का वि. 22-3-1976 का पत्र सं. पी सी. III/75/आर.ए/1]

स्पष्टीकरण भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I [प्रथम पुनर्मुद्रण-1971 संस्करण] के नियम 730 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-1976 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय, प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी पंक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1125 (E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 730 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1976.

[No.E(P&A)II/87/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO.433 R.I.

RULE 730

Note under Rule 730 may be substituted by the following:

"NOTE:—In the case of staff entitled to running allowance pay shall include the average running allowance earned during the 12 months immediately preceding the month in which a railway servant proceeds on leave, subject to a maximum of 45% of average of the pay in the revised scales of pay, drawn for the same period, the average running allowance once determined remaining in operation during the remaining part of the financial year in cases of leave not exceeding one month".

AUTHORITY: [Ministry of Railway's letter No. PC-III/-75/RA/1 dated 22-3-1976]

EXPLANATION:

The Rule 730 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (1st reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-4-1976. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1126(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 730 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-08-1981 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एंड ए) II/86 आर एस-15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 441 स्था.-I

नियम 730

नियम 730 के नीचे टिप्पण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"टिप्पण : चालन भत्ते के हकदार कर्मचारिवृन्द के मामले में, "वेतन" में चालन भत्ते में वेतन तत्व के रूप में संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का 30 प्रतिशत भी शामिल होगा।

[प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दिनांक 17-7-1981 का पत्र सं. ई (पी एंड ए) 2/80/आर एस 10]

स्पष्टीकरण :

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 730 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-8-1981 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आशोधित किया गया है। चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विनिश्चयों के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता हुई थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1126(E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 730 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-08-1981.

[No.E(P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 441 R.I.

RULE 730

Note under Rule 730 may be substituted by the following:

"NOTE:—In the case of Staff entitled to running allowance, 'Pay' shall also include 30% of basic pay, in the revised scales of pay, as pay element in running allowance.

AUTHORITY: [Ministry of Railways' letter No. E(P&A) II-80/RS-10 dt. 17-7-1981).]

EXPLANATION:

The Rule 730 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-8-1981. These instructions were necessitated by the Government's decision on the recommendation of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1127(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I (पंचम संस्करण, 1985) के नियम 902(8) में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-01-1987 से प्रभावी होंगे।

सं. ई (पी एंड ए)II/86/आर एस 15]

अनुलग्नक

पृष्ठ 91, नियम 902(8)-"वेतन"

मुख्य परिभाषा में निम्नलिखित को अंतिम वाक्य के रूप में जोड़ दें—

"रनिंग कर्मचारियों के मामले में भविष्य निधि में विशेष अंशदान के लिए वेतन में, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रनिंग भत्ते में वेतन तत्व का घोतक एक निश्चित घटक शामिल होगा।

G.S.R. 1127 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 902(8) of Indian Railway Establishment Code, Volume I (Fifth Edition, 1985) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-01-1987.

[No. E (P & A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

Page 91, Rule 902 (8)—'Pay'.

Add the following as the last sentence in the main definition:—

"In the case of running staff the pay for special contribution to Provident Fund will include a fixed component representing the pay element in the running allowance, as notified by the Government through administrative instructions from time to time".

सा.का.नि. 1128(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन ----------से प्रभावी होंगे।

[सं० ई (पी० एंड ए०) II/86/आर० एस० 15]

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 434 स्था.-I

नियम 903

नियम 903(1) के नीचे टिप्पण (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"चालन कर्मचारिवृन्द के मामले में, संशोधित वेतनमान में वेतन के 45 प्रतिशत तक चालन भत्ता।"

[प्राधिकार :—रेल मंत्रालय का दिनांक 22-3-1976 का पत्र सं. पी सी-3/75-आर ए/1]

स्पष्टीकरण

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण-1971 संस्करण) के नियम 903 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-76 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय

वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय 4 प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिन पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1128(E):-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 903 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1976.

[No. E (P & A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 434 R.I.

RULE 903

Note (i) under Rule 903(1) may be substituted by the following:—

"In the case of running staff, running allowance to the extent of 45% of pay in the revised scales of pay."

AUTHORITY : (Ministry of Railways letter No. PC-III/75/RA/1 dated 22-3-1976).

EXPLANATION :

The Rule 903 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (Ist reprint) has been modified through Administration instructions issued with President's approval effective from 1-4-1976. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1129(अ):--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-I पंचम संस्करण, 1985 के नियम 902(5) में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01 01 1987 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई(पी. एंड ए.)II/86/आर.एस. 15]

अनुलग्नक

पृष्ठ 90 नियम 902(5)-"परिलब्धियां"

मद (1) के वर्तमान परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें:--

"रनिंग-भत्ते के हकदार ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" रेल सेवक की मासिक परिलब्धियों में समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रनिंग भत्ते में वेतन तत्व का द्योतक एक निश्चित संघटक शामिल होगा।"

G.S.R. 1129(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 902(5) of Indian Railway Establishment Code, Volume I (Fifth Edition), 1985 as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-01-1987.

[No. E(P&A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

Page 90, Rule 902(5)—'Emoluments.'

Substitute the following instead of the existing proviso—Item (i) :—

"The monthly emoluments of a Group 'C' and Group 'D' Railway servant entitled to running allowance shall include a fixed component representing the pay element in the running allowance, as notified by the Government through administrative instructions from time to time.'

सा.का.नि. 1130(अ):--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 903 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-08-1981 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई.(पी एंड ए.)II/86/आर.एस. 15]

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 442 स्था. 1

नियम 903

उप नियम (1) के नीचे टिप्पण (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:-

"टिप्पण" चालन कर्मचारिवृन्द के मामले में चालन भत्ते में वेतन तत्व के रूप में, संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का 30 प्रतिशत।

प्राधिकार:--रेल मंत्रालय का दि. 17-7-1981 का पत्र सं. ई. (पी. एंड ए.)-2/80/आर. एस.-10)।

स्पष्टीकरण:--

भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 903 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-9-81 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आशोधित किया गया है चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये विनिश्चय के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता हुई थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1130(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 903 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-08-1981.

[No. E(P&A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 442 R.I.

RULE 903

Note (i) under sub-rule (1) may be substituted by the following :

"NOTE :—In the case of running staff, 30% of basic pay, in the revised scales of pay, as the pay element in running allowance."

AUTHORITY : (Ministry of Railways' letter No. E(P&A) II-80/RS-10 dt. 17-7-1981.)

EXPLANATION :

The Rule 903 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-8-1981. These instructions were necessitated by the Government's decision on the recommendations of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of these amendments is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1131(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द—I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 1107 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-04-1976 से प्रभावी होंगे ।

[सं. ई (पी एंड ए)/II/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 435 स्था. 1

नियम 1107

उप नियम (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"इस प्रयोजन के लिए "वेतन" अधिष्ठायी वेतन होगा और इसमें चालन भत्ता शामिल होगा जो चालन कर्मचारिवृन्द के मामले में संशोधित वेतनमान में अधिष्ठायी वेतन का अधिक से अधिक 45 प्रतिशत होगा ।"

(प्राधिकार: रेल मंत्रालय का दिनांक 22-3-1976 का पत्र सं. पी सी 3/75/आर ए./1)

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I (प्रथम पुनर्मुद्रण—1971 संस्करण) के नियम 1107 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-76 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

G.S.R. 1131(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 1107 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1976.

[No. E(P&A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 435 R.I.

RULE 1107

The sub-rule (3) may be substituted by the following :—

" 'Pay' for this purpose shall be substantive pay and shall include the running allowance subject to a maximum of 45% of substantive pay, in the revised scales of pay, in the case of running staff."

AUTHORITY : (Ministry of Railways' letter No. PC-III/75/RA/1 dated 22-3-1976.)

EXPLANATION :

The Rule 1107 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (1st reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-4-1976. These instructions were necessitated by the instruction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1132(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द—I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 1107 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-08-1981 से प्रभावी होंगे ।

[सं. ई (पी एंड ए)/II/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 443 स्था 1

नियम 1107

उप नियम (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"इस प्रयोजन के लिए 'वेतन' अधिष्ठायी वेतन होगा और इसमें चालन भत्ते के वेतन तत्व के रूप में संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का 30 प्रतिशत भी शामिल होगा ।"

(प्राधिकार :—रेल मंत्रालय का दिनांक 17-7-1981 का पत्र सं. ई (पी एण्ड ए)-2/80/आर एस-10)

स्पष्टीकरण

भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 1107 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-6-81 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये विनिश्चयों के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता हुई थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था । यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1132(E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 1107 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-08-1981.

[No. E. (P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 443 R.I.

RULE 1107

The sub-rule (3) may be substituted by the following:—

" 'Pay' for this purpose shall be substantive pay and shall also include 30% of basic pay; in the revised scales of pay, as the pay element in running allowance."

AUTHORITY : (Ministry of Railways' letter No. E (P&A) II-80/RS-10 dt. 17-7-1981)

EXPLANATION

The Rule 1107 of Indian Railway Establishment Code Volume I (First reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-8-1981. These instructions were necessitated by the Government's decision on the recommendation of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of these amendments is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1133(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द—I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 1108 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-04-1976 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एंड ए) 11/86/आर एस-15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं 436 स्था 1

नियम 1108

उप नियम 5(ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाये :—

"खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए वेतन से अभिप्राय अधिष्ठायी वेतन से है और जिसमें स्थानापन्न वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन शामिल है। चालन भत्ते के हकदार कर्मचारिवृन्द के मामले में उसके वेतन में संशोधित वेतनमान में चालन भत्ता भी शामिल होगा, जो वेतन का अधिक से अधिक 45 प्रतिशत होगा।"

उप नियम 5(ख) के नीचे टिप्पण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये —

"टिप्पण :

किसी रेल सेवक की छुट्टी की अवधि के दौरान, 'वेतन' रेल सेवक के अधिष्ठायी वेतन, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो, को मिलाकर माना जाना चाहिए। चालन कर्मचारियों के मामले में अधिष्ठायी वेतन में वह चालन भत्ता, जो रेल सेवक ने उस अवधि के दौरान लिया होता, शामिल माना जाना चाहिए, परन्तु यह संशोधित वेतनमान में ऐसे भत्ते के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दि 22-3-1976 का पत्र सं. पी सी 3/75/आर ए/1)

स्पष्टीकरण

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I (प्रथम पुनर्मुद्रण 1971 संस्करण) के नियम 1108 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-76 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1133 (E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the President is pleased to amend Rule 1108 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1976.

[No. E. (P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 436 R.I.

RULE 1108

The sub-rule (5)(b) may be substituted by the following:—

" 'Pay' for the purpose of Clause (a) means substantive pay and includes officiating pay, special pay and personal pay. In respect of staff entitled to running allowances, it also includes running allowance subject to a maximum of 45% of pay, in the revised scales of pay."

The Note under sub-rule (5)(b) may be substituted by the following :

"NOTE : During the period a railway servant is on leave, 'Pay' should be taken to mean the railway servant's substantive pay plus personal pay and special pay, if any. In the case of running staff, substantive pay should be held to include running allowance which the railway servant would have drawn druring the period, subject to such allowance not exceeding 45% of his substantive pay, in the revised scales of pay."

AUTHORITY : (Ministry of Railways' letter No. PC-III/75/RA/1 dated 22-3-1976).

EXPLANATION :

The Rule 1108 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (first reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-4-1976. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1134(अ).—संविधान के अनुच्छेद 30 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-1 (प्रथम पुनर्मुद्रण संस्करण) के नियम 1108 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-08-1981 से प्रभावी होंगे।

[सं ई (पी एंड ए) 11/86/आर एस 15]

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 444 स्था. I

नियम 1108

उप नियम (5)(ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए वेतन से अभिप्राय अधिष्ठायी वेतन से है और इसमें स्थानापन्न वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन शामिल है। चालन भत्ते के हकदार कर्मचारिवृन्द के मामले में इस वेतन में चालन भत्ता में वेतन तत्व के रूप में, संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का 30 प्रतिशत भी शामिल है।

[प्राधिकार :—रेल मंत्रालय का दिनांक 17-7-1981 का पत्र सं. ई (पी एण्ड ए) 2/80/आर एस-10]

स्पष्टीकरण

भारतीय रेल स्थापन संहिता के नियम 1108 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-8-81 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आशोधित किया गया है। चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये विनिश्चयों के कारण इन अनुदेशों को आवश्यकता हुई थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अदेनुशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G S.R. 1134 (E):— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 1108 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-08-1981.

[No. E (P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 444 R I.

RULE 1108

The sub-rule (5)(b) may be substituted by the following:—

Pay for the purpose of Clause(a) means substantive pay and includes officiating pay, special pay and personal pay. In respect of staff entitled to running allowances, it also includes 30% of basic pay, in the revised Scale of pay, as the pay element in running allowance."

AUTHORITY : [Ministry of Railways' letter No. E (P&A II-80/RS-10 dt. 17-7-1981].

EXPLANATION :

The Rule 1108 of Indian Railway Establishment Code, Volume I, (First Reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-8-1931. These instructions were necessitated by the Government's decision on the recommendation of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of these amendments is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1135(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-1 (पंचम पुनर्मुद्रण) के नियम 1302 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-01-1973 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एण्ड ए) 11/86/आर एस 15]

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 428 स्था. I

नियम 1302

उप नियम (6) के नौवें परन्तुक (11) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"चालन भत्ते के हकदार अराजपत्रित रेल सेवक की मासिक परिलब्धियों में, उसके द्वारा महीने के दौरान ली गयी चालन भत्ते की वास्तविक राशि, जो संशोधित वेतनमान में अधिक से अधिक उसके वेतन का 45 प्रतिशत तक होगी, शामिल की जायेगी।

(प्राधिकार :—रेल मंत्रालय का दिनांक 22-3-1977 का पत्र सं. पी सी-3/76/आर ए/1 जैसा रेल मंत्रालय के दिनांक 23-6-1976 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित किया गया।)

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-1 (प्रथम पुनर्मुद्रण-1971 संस्करण) के नियम 1302 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-1-1973 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आशोधित किया गया है। दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1135(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the President is pleased to amend Rule 1302 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure

The amendment will be effective from 01-01-1973.

[No. E (P & A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO 428 R.I

RULE 1302

The Proviso ( ) under sub rule (5) may be substituted by the following;

"The monthly emoluments of a non-gazetted railway servant entitled to running allowances shall include the actual amount of running allowance drawn by him during the month, limited to a maximum of 45% of his pay, in the revised Scales of Pay".

(AUTHORITY : Ministry of Railway's letters No. PCIII 75/RA/I dated 22-3-76 and dated 23-6-76).

EXPLANATION :

The Rule 1302 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-1-1973. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1136(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 1302 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं ।

ये संशोधन 01-04-1979 से प्रभावी होंगे ।

[सं० ई(पी एण्ड ए)II/86/आर एस-15]

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 437 स्था. I

नियम 1302

उप नियम (5) के नीचे परन्तुक (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"चालन भत्ते के हकदार अराजपत्रित रेल सेवक की मासिक परिलब्धियों में चालन भत्ते के वेतन तत्व के रूप में संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का 55 प्रतिशत भी शामिल किया जायेगा ।"

[प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दि. 17-7-1981 का पत्र सं. ई (पी एण्ड ए) 2/80/आर ए 10]

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापन संहिता के नियम 1302 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-79 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है । चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये विनिश्चयों के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता हुई थी । इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था । यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

G.S.R. 1136 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 1302 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1979.

[No. E (P & A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 437 R.I.

RULE 1302

The Proviso (ii) under Sub-rule (5) may be substituted by the following:—

"The monthly emoluments of a non-gazetted railway servant entitled to running allowance shall also include 55% of basic pay in the revised scales of pay, as the pay element in Running Allowance."

AUTHORITY : Ministry of Railways' letter No. E (P & A) II-80/RS-10 dated 17-7-1981."

EXPLANATION :

The Rule 1302 of Indian Railway Establishment Code, has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-4-1979. These instructions were necessitated by the Government's decisions on the recommendations of 'Running Allowance Committee (1980). The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1137 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 1309 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-01-1973 से प्रभावी होंगे।

[सं०ई(पी एंड ए) II/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 429 स्था. I

नियम 1309

उपनियम (1) के नीचे परंतुक (ii) में दूसरे वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"चालन कर्मचारियों के मामले में, वेतन में उस औसत चालन भत्ते का बारहवां भाग भी जोड़ा जायेगा जो उसने अपनी छुट्टी शुरू होने वाले महीने से पहले के बारह महीनों में प्रतिमास अर्जित किया हो, जो उनके यथा उपरिलिखित संशोधित वेतनमान में स्थानापन्न/मूल वेतन के, जिसमें यदि कोई विशेष वेतन उस पद के वेतनमान का हिस्सा हो तो वह भी शामिल होगा, 45 प्रतिशत तक सीमित होगा ।

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दि. 22-3-1976 का पत्र सं. पी. सी. 3/75/आर ए/1 जैसा रेल मंत्रालय के दिनांक 23-6-1976 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित किया गया) ।

स्पष्टीकरण :

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण, 1971 संस्करण) के नियम 1309 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-1-1973 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

G.S.R. 1137(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 1309 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-01-1973.

[No. E(P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 429 R.I.

RULE 1309

The second sentence in Proviso (ii) under Sub-rule (1) may be substituted by the following:

"In the case of Running Staff, 1/12th of the Average running allowance earned per month during the 12 months preceding the month in which his leave begins limited to 45% of the officiating/substantive pay in the revised Scales of Pay, as referred to above, including Special Pay if forming part of the scale of pay of the post shall also be added to that".

(AUTHORITY : Ministry of Railway's letters No. PC III/75/RA/1 dated 22-3-1976 and 23-6-1976)

EXPLANATION :

The Rule 1309 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (Ist reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-1-1973. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of Pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date or which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1138 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 1309 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-04-1979 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई (पी एंड ए) /II/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम सुधिपत्र सं. 438 स्था. I

नियम 1309

उप नियम (1) के नीचे परंतुक (ii) के दूसरे वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:—

"चालन कर्मचारिवृन्द के मामले में चालन भत्ते में वेतन का घटक, संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का 55 प्रतिशत भी जोड़ा जायेगा।

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का वि. 17-7-1981 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए.) 2/80/आर एस—10)

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापन संहिता के जिल्द I (प्रथम पुनर्मुद्रण) नियम 1309 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-79 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आंशोधित किया गया है। चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये विनियमों के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता हुई थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1138(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 1309 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1979.

[No. E(P&A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 438 R.I.

RULE 1309

The Second sentence in proviso (ii) under Sub-rule (1) may be substituted by the following :—

"In the case of running staff 55% of basic pay, in the revised scales of pay, representing the pay element in Running Allowances shall also be added to that."

AUTHORITY : (Ministry of Railways' letter No. E (P&A) II-80/RS-10 dated 17-7-1981.)

EXPLANATION :

The Rule 1309 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-4-1979. These instructions were necessitated by the Government's decision on the recommendation of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा. का. नि. 1139 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-I (पंचम पुनर्मुद्रण) के नियम 1502 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-01-1973 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई(पी एंड ए) /II/86/आर एस 15]

अनुबंध

अग्रिम सुधिपत्र सं. 430 स्था. I

नियम 1502

उप नियम (3) के नीचे परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"परंतु इन दोनों मामलों में यदि कोई रेल सेवक चालन भत्ते का हकदार है तो वेतन में वह मासिक औसत चालन भत्ता भी शामिल होगा जो रेल सेवक ने सेवा छोड़ने के तत्काल पूर्व के 365 दिनों में किये गये चालन कर्तव्य के लिए लिया हो, पर संशोधित वेतनमान में उक्त अवधि में लिये गये औसत वेतन से 45 प्रतिशत तक सीमित होगा।

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का विनांक 22-3-1976 का पत्र सं. पी सी. 3/75/आर ए/1 जैसा रेल मंत्रालय के वि. 23-6-1976 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित किया गया)।

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द 1 (प्रथम पुनर्मुद्रण—1971 संस्करण) के नियम 1502 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-1-1973 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R 1139(E) —In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 1502 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-01-1973.

[No. E(P&A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 430 R.I.

RULE 1502

The Proviso under sub-rule (3) may be substituted by the following :

"Provided that in respect of a Railway Servant of either case entitled to Running Allowances, pay shall also include the monthly average Running Allowance drawn by the Railway servant during 365 days of running duty immediately preceding the date of quitting service, limited to 45% of average pay for the same period, in the revised scales of pay."

[AUTHORITY : Ministry of Railway's letters No. PCIII/75/RA/1 dated 22-3-1976 as amended by letter of even number dated 23-6-1976].

EXPLANATION :

The Rule 1502 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (Ist reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-1-1973. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1140(अ) :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता जिल्द-1 (प्रथम पुनर्मुद्रण) के नियम 1502 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-04-1979 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई. (पी एंड ए) II/86/आर.एस 15]

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं. 439 स्था. I

नियम 1502

उप नियम (3) के नीचे परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

"परन्तु दोनों प्रकार के मामलों में यदि कोई रेल कर्मचारी चालन भत्ते का हकदार है तो वेतन में चालन भत्ते को वेतन तत्व के रूप में संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का 55 प्रतिशत भी शामिल किया जायेगा।

[प्राधिकार . रेल मंत्रालय का दिनांक 17-7-1981 का पत्र सं ई (पी. एंड ए)-2 /80/आर.एस -10]

स्पष्टीकरण

भारतीय रेल स्थापन संहिता के नियम 1502 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-79 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये विनिश्चयों के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता हुई थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1140(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 1502 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1979.

[No. E(P&A) II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 439 R.I.

RULE 1502

The proviso under sub-rule (3) may be substituted by the following :

"Provided that in respect of a railway servant of either case, entitled to running allowances, pay shall also include 55% of basic pay, in the revised scales of pay as the pay element in Running Allowances."

[AUTHORITY: Ministry of Railways letter No. E(P&A)II-80/RS-10 dated 17-7-1981.]

EXPLANATION .

The Rule 1502 of Indian Railway Establishment Code, Volume I (First Reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-4-1979. These instructions were necessitated by the Government's decisions on the recommendations of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1141(अ) :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-II (पंचम पुनर्मुद्रण) के नियम 2003 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-08-1981 से प्रभावी होंगे।

[सं. ई(पी एंड ए) II/86/आर एस 15]

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं 408 स्था.-II

नियम 2003

उप नियम (2) के नीचे परन्तुक (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जाये :—

"परन्तु यह और कि चालन भत्ते के हकदार कर्मचारिवृन्द के मामले में छुट्टी वेतन के प्रयोजन के लिए औसत वेतन में चालन भत्ते में वेतन तत्व के रूप में संशोधित वेतनमान में, मूल वेतन का 30 प्रतिशत भी शामिल होगा।

[प्राधिकार—रेल मंत्रालय का दिनांक 17-7-1981 का पत्र सं. (पी. एंड ए)-2/80/आर.एस. 10]।

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द (II) (पांचवा पुनर्मुद्रण) के नियम 2003 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-8-1981 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये विनिश्चयों के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता हुई थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1141(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 2003 of Indian Railway Establishment Code, Volume II (Fifth Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-08-1981.

[No. E (P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 408 R.II

RULE 2003

Proviso (ii) under sub-rule (2) may be substituted by the following :

"Provided further that in the case of Staff entitled to running allowances, average pay for the purpose of leave salary shall also include 30% of basic pay, in the revised scales of pay, as the pay element in Running Allowance."

[AUTHORITY: Ministry of Railway's letter No. E. (P&A)II-80/RS-10 dt. 17-7-1981].

EXPLANATION :

The Rule 2003 of the Indian Railway Establishment Code, Volume II (Fifth reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-8-1981. These instructions were necessitated by the Government's decision on the recommendations of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of these amendments is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1142(अ) :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो भारतीय रेल स्थापन संहिता जिल्द-II (पंचम पुनर्मुद्रण) के नियम 2003 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं।

ये संशोधन 01-04-1976 से प्रभावी होंगे।

[सं ई (पी एंड ए) II/86/ आर एस 15]

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र स.-406 स्था.II

नियम 2003

उप नियम (2) के नीचे परन्तुक (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रति-स्थापित किया जाये :—

"परन्तु यह और कि चालन भत्ते के हकदार कर्मचारिवृन्द के मामले में, छुट्टी वेतन के प्रयोजन के लिए औसत वेतन में शामिल होगा, वह औसत चालन भत्ता जो रेल सेवक ने छुट्टी वाले महीने से तत्काल पूर्व के बारह महीनों में अर्जित किया हो, परन्तु यह संशोधित वेतनमान में उसी अवधि के लिए वेतन के औसत के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। एक मास से अनधिक छुट्टी के मामलों में एक बार निर्धारित औसत चालन भत्ता वित्त वर्ष की शेष अवधि में लागू रहेगा।

[प्राधिकार :—रेल मंत्रालय का वि. 22-3-1976 का पत्र स. पी सी.-3/75/आर.ए./1]

स्पष्टीकरण

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द II (पांचवा पुनर्मुद्रण) के नियम 2003 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-76 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है। तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी। इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

G.S.R. 1142(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Pesident is pleased to amend Rule 2003 of Indian Railway Establishment Code, Volume II(Fifth Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1976.

[No. E(P&A)II/86/RS/15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO 406 R.II

RULE 2003

Proviso (ii) under sub-rule (2) may be substituted by the following :

"Provided further that in the case of staff entitled to running allowances, average pay for the purpose of leave salary shall include the average running allowance earned

during the 12 months immediately preceding the month in which a railway servant proceeds on leave, subject to a maximum of 45% of average of the pay in the revised scales of pay, for the same period, the average running allowance once determined remaining in operation during the remaining part of the financial year in cases of leave not exceeding one month".

AUTHORITY: Ministry of Railway's letter No. PC-III/75/RA/1 dated 22-3-1976).

EXPLANATION :

The Rule 2003 of Indian Railway Establishment Code Volume II (Fifth reprint) has been modified through administrative instructions issued with resident's approval effective from 1-4-1976. These instructions were necessitated by the introduction of the revised scales of pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1143(अ)—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द II (पंचम पुनर्मुद्रण) के नियम 2544 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं ।

ये संशोधन 01-01-1973 से प्रभावी होंगे ।

[सं. ई (पी एंड ए) 11/86/आर एस-15]

अनुलग्नक

अग्रिम शुद्धिपत्र सं 405 स्था. II

नियम 2544

उप-नियम (छ)(i) और (छ)(ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

छ(i) औसत परिलब्धियों के परिकलन के प्रयोजन के लिए :—

संशोधित वेतनमान में रेल सेवक द्वारा महीने के दौरान ली गयी चालन भत्ते की वास्तविक राशि जो वेतन के अधिक से अधिक 45 प्रतिशत तक सीमित है ।

छ(ii) उपदान और/अथवा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए सेवा—छोड़ने के तत्काल पूर्व के 365 दिनों के चालन कर्तव्य के दौरान संशोधित वेतनमान में लिये गये चालन भत्ते का मासिक औसत जो उसी अवधि के दौरान लिये गये औसत वेतन के 45 प्रतिशत तक सीमित हो ।

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दिनांक 22-3-1976 का पत्र स. पी सी 3/75/आर ए/1 जैसा रेल मंत्रालय के दिनांक 23-6-1976 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित किया गया)

स्पष्टीकरण :—

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द II (पांचवां पुनर्मुद्रण) के नियम 2544 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी किया गया है।

1-1-1973 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से संशोधित किया गया है । तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों को लागू करने के कारण इन अनुदेशों की आवश्यकता पड़ी थी । इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

G.S.R. 1143(E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 2544 of Indian Railway Establishment Code, Volume II (Fifth Reprint) as in the Annexure

The amendment will be effective from 01-01-1973.

[No.E(P&A)II/86/RS-15]

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 405 R.II.

RULE 2544

Sub-rule g(i) and g(ii) may be substituted by the following:

g(i) "For the purpose of calculation of average emoluments:—actual amount of running allowance drawn by the railway servant during the month limited to a maximum of 45% of pay, in the revised Scales of Pay".

g(ii) "For the purpose of gratiuty and/or death-cum-retirement gratuity:—the monthly average of running allowances drawn during the 365 days of running duty immediately preceding the date of quitting service limited to 45% of average pay drawn during the same period, in the revised scales of pay."

(AUTHORITY: Minjstry of Railway's letters No. PCIII/75/RA/1 dated 22-3-1976 as amended by letter of even number dated 23-6-1976)

EXPLANATION:

The Rule 2544 of Indian Railway Establishment Code, Volume II (Fifth reprint) has been modified through administrative instructions issued with the President's approval effective from 1-1-1973 These instructions were necessitated by the introduction of the revised Scales of Pay recommended by the Third Central Pay Commission. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to these rules will not adversely affect any employee to whom these rules apply.

सा.का.नि. 1144(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द-II (पंचम पुनर्मुद्रण) के नियम 2541 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं ।

ये संशोधन 01-04-1979 से प्रभावी होंगे ।

[सं ई (पी एंड ए) 11/86/आर एस-15]

के० वेंकटेशन,

निदेशक, स्थापना (वे. एवं म.), रेलवे बोर्ड

अनुबन्ध

अग्रिम शुद्धिपत्र सं 407 स्था. II

नियम 2544

उप नियम छ(1) और छ(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—

छ(1) "औसत परिलब्धियों की गणना के प्रयोजन के लिए :— अवधि के दौरान संशोधित वेतन मे लिये गये मूल औसत वेतन का 55 प्रतिशत ।"

छ(2) "उपदान और/या मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए :— अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान में लिये गये मूल औसत वेतन का 55 प्रतिशत ।"

[प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दिनांक 17-7-1981 का पत्र सं. ई (पी एण्ड ए) 2/80/आर एस 10]

स्पष्टीकरण :

भारतीय रेल स्थापन संहिता, जिल्द 2 (पांचवां पुनर्मुद्रण) के नियम 2544 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी 1-4-79 से प्रभावी प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से आशोधित किया गया है। चालन भत्ता समिति (1980) की सिफारिशो पर सरकार द्वारा किये गये विनिश्चयों के कारण इन अनुदेशो की आवश्यकता हुई थी । इस संशोधन का आशय प्रशासनिक अनुदेशों को उसी तारीख से कानूनी शक्ति प्रदान करना है, जिस तारीख से उन्हें जारी किया गया था । यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कर्मचारी पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

G.S.R. 1144(E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to amend Rule 2544 of Indian Railway Establishment Code, Volume II (Fifth Reprint) as in the Annexure.

The amendment will be effective from 01-04-1979.

[No.E(P&A)II/86/RS/15]

K. VENKATESAN,
Director, Establishment (P&A),
Railway Board.

ANNEXURE

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 407 R.II

RULE 2544

Sub-rule g(i) and g(ii) may be substituted by the following:

g(i) "For the purpose of calculation of average emoluments: 55% of basic average pay, in the revised scales of pay, drawn during the period;"

g(ii) "For the purpose of gratuity and/or death-cum-retirement gratuity: 55% of basic average pay, in the revised scales of pay, drawn during the period."

AUTHORITY: [Ministry of Railways' letter No.E(P&A) II-80/RS-10 dated 17-7-1981]

EXPLANATION:

The Rule 2544 of Indian Railway Establishment Code, Volume II (Fifth reprint) has been modified through administrative instructions issued with President's approval effective from 1-4-1979. These instructions were necessitated by the Government's decision on the recommendations of 'Running Allowance Committee (1980)'. The purpose of this amendment is to give statutory force to the administrative instructions with effect from the same date on which the instructions were issued. It is certified that retrospective effect given to there rules will not adversely affect any employee, to whom these rules apply.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988